न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–विदिशा R 1247-2014

भंवरीबाई पुत्री श्री रूपसिंह राजपूत, निवासी – ग्राम बीलखेडी, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

इमरतसिंह पुत्र श्री मानसिंह राजपूत, निवासी – ग्राम बीलखेडी, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शमशाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 9/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनाक 11.03.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

मामले के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यहकि, अनावेदक इमरतसिंह द्वारा तहसीलदार शमशाबाद के समक्ष आवेदन पत्र धारा 115–116 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम बीलखेडी में स्थित सर्वे कमांक 315 रकवा 0.040 है, सर्वे कमांक 321 रकवा 0.020 है, सर्वे कमांक 403/2 रकवा 0.508 है., सर्वे कमांक 542 रकवा 0.340 है, सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 है, कुल किता 5 कुल रकवा 1.858 हैक्टेयर है, जो पैत्रिक कृषि भूमियॉ है, जो उसे आपसी बंटवारें में प्राप्त हुयी थी। उक्त कृषि खाते का सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 हैक्टेयर सहवन त्रुटिवश शासकीय अभिलेख में आवेदिका भंवरीबाई के नाम अवैध रूप से अंकित हो गयी है। उक्त गलत एवं अवैध प्रविष्टी का शासकीय अभिलेख मे सुधार किया जाकर उक्त प्रविष्टी पर अनावेदक का नाम शासकीय अभिलेख में विधि अनुरूप अंकित किया जाये।
2. यहकि, अनावेदक के उक्त आवेदनपत्र तहसीलदार, शमशाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–6/2012–13 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें आवेदिका की ओर से अपना विधिवत जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 411 रकवा 0.950 हैक्टेयर आवेदिका के स्वत्व,

भंवरी बाई विरूद्ध इमरतसिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 1247/–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.11.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अपील योग्य आदेश है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने इस संबंध में निष्कर्ष निकालते हुए आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत करने में कोई त्रुटि नहीं की है । परिणामतः यह निगरानी अग्राहय की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	